

:: कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर (मध्यप्रदेश) ::

(दूरभाष क्र० कार्यालय - 07325 - 254321)

क्रमांक क/वा० 1/2017/3549
प्रति,

बुरहानपुर, दिनांक 06/12/17


सहायक संचालक (विज्ञापन),
जनसम्पर्क संचालनालय,
म०प्र० भोपाल ।

विषय :- म०प्र० शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन करने बाबत ।

— 0 —

जिला बुरहानपुर के लालबाग रेल्वे ओवर ब्रिज हेतु ग्राम गांधी कॉलोनी लालबाग तहसील एवं जिला बुरहानपुर की संलग्न सूची के अनुसार निजी भूमि का आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त आपसी सहमति से कय किये जाने हेतु म०प्र० शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी की गई है । उक्त सार्वजनिक सूचना की दस प्रतियाँ संलग्न हैं ।

अतः उक्त सार्वजनिक सूचना का एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें ।
संलग्न - सूची


अनुविभागीय अधिकारी,
बुरहानपुर म०प्र०


पृ०क्र० क/वा० 1/2017/3549
प्रतिलिपि :-

बुरहानपुर, दिनांक 06/12/17

1- तहसीलदार, बुरहानपुर की ओर सार्वजनिक सूचना की 8 प्रतियाँ भेजकर लेख्य है कि एक-एक प्रति निम्न स्थलों पर चस्पा करवाकर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिल के मय अपने प्रमाणीकरण के साथ एक प्रति इस कार्यालय को भिजवायें ।

- 1- कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
- 2- उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
- 3- तहसील कार्यालय बुरहानपुर के नोटिस बोर्ड पर
- 4- आयुक्त नगर पालिक निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर
- 5- कय की जा रही भूमि/स्थल पर ।

2- प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, कलेक्टोरेट, बुरहानपुर की ओर सार्वजनिक सूचना के जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अप्रेषित ।


अनुविभागीय अधिकारी,
बुरहानपुर म०प्र०

**कार्यालय कलेक्टर, जिला- बुरहानपुर मध्यप्रदेश
एवं पदेन उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक- /भू-अर्जन/र-1/2017-18

बुरहानपुर दि. 6 /12/ 2017

सार्वजनिक सूचना

(अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि लालबाग जिला बुरहानपुर में रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु नगर पालिक निगम बुरहानपुर के अंतर्गत गांधी कालोनी, लालबाग तहसील बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म.प्र. के खाताधारको की निजी भूमि/निर्मित मकान मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र एफ. 12-2/2014/सत/2ए /भोपाल, दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सं. क्र.	भू-स्वामी का नाम व पिता/ पति का नाम	सर्वे नं. /सीट नं. /प्लॉट नं.	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (वर्ग मी. में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			आवासीय	व्यवसायिक	कुल	
गांधी कालोनी लालबाग						
1	शेखर अख्तर अली कमार अली, मेहरबानो, शहरबानो सयाना, परवीन पिता मोहम्मदअली निवासी गांधी कालोनी बुरहानपुर	35,27,121/1	62.25	-	62.25	150.84 वर्ग मी. मकान तोड़ा जाना है।
2	श्रीमती कमलाबाई शामशाह बनसोई निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	9.14	-	9.14	54.80 वर्ग मी. मकान तोड़ा जाना है।
3	कृषि राज व्यायाम शाला (जिनेशियम) (जिनेशियम) एवं पेलकेंयर सेन्टर समिति लालबाग व हैसियत सहित शेख जाहिद पिता शेख मेहगूद निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	45.70	-	45.70	139.29 वर्ग मी. कुल 26.25 वर्ग मी. प्रधान एवं द्वितीय तल तोड़ा जाना है। 1 नग कच्चा
4	जगन्नाथ/रघुनाथ/विश्वनाथ पिता कृष्णा पवार निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	48.81	-	48.81	139.29 वर्ग मी. मकान तोड़ा जाना है।
5	श्रीमती शोभा बाई जगन्नाथ पवार	32,27,120	79.97	-	79.97	-
6	यादव लाल सोनु पवार निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	69.64	-	69.64	-
7	सुमनबाई पति सुखलाल गायकवाड निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	25.13	-	25.13	55.70 वर्ग मी. मकान तोड़ा जाना है।
8	रघुनाथ पिता ओंकार गौरील निवासी मित चाल लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	139.40	-	139.40	-
9	सञ्जाराग पिता रामचंद्र सोनवणे निवासी गुलाबगज बुरहानपुर	32,27,120	69.64	-	69.64	-
10	मोहम्मद इजर ईत पिता हाजी मोहम्मद इब्राहीम निवासी गांधी कालोनी लालबाग बुरहानपुर	32,27,120	38.02	-	38.02	30.39 वर्ग मी. मकान तोड़ा जाना है।

Graph